

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती

संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/सी.पी.आई.ओ/12 S(A)

दिनांक: 12/09/2022

सेवा में,

 श्री अंबिका प्रसाद पटेल,
 ग्राम - नवापारा, पो. कछार,
 तहसील - खरसिया, जिल्हा - रायगढ (छत्तीसगढ),
 पिन कोड - 496661, मोबाइल - 9424355030

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।

महोदय,

आपका पत्र दि. 14.08.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक: 22.08.2022 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:


पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पश्चिम क्षेत्र-1 के संचारण / संधारण के अधीन आने वाली 200 के. व्ही. बुद्धिपदर - कोरबा सर्किट - 3 लाईन का टावर नं.302 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49)नया मार्ग निर्माण के बाद) के मध्य में आ गया। उक्त टावर एवं लाईन शिफ्टिंग का कार्य दिसंबर 2021 में किया गया। उक्त शिफ्टिंग में आवेदक निजी स्वामित्व की परिवर्तित भूमि और अन्य कृषि भूमि प्रभावित हुई। इस प्रकार आवेदककर्ता उक्त शिफ्टिंग में प्रभावित पक्ष होने के कारण इससे संबंधित निम्न जानकारी प्रदान करने का आग्रह करता है :-

क्र.	चाही गयी जानकारी	जवाब
अ.	यह कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नवीन हाईटेंशन लाईन के निर्माण प्रचलित हाईटेंशन लाईनों के संचालन/संधारण, तथा चालू हाईटेंशन लाईनों के शिफ्टिंग का कार्य ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार किया जाता है। हाईटेंशन लाईन के निर्माण तथा चालू हाईटेंशन लाईनों के शिफ्टिंग के दौरान मार्ग में आने वाली भूमि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति से भिन्न संपत्ति जिस नियम/विनियम/अधिनियम/परिपत्र के अधार पर किया जाता है तत्संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	हाईटेंशन लाईनों के शिफ्टिंग के दौरान मार्ग में आने वाली मार्ग का निर्धारण तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से किया जाता है, न कि भूमि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति से भिन्न संपत्ति के आधार पर नहीं किया जाता तकनीकी एवं वित्तीय आधार पर संदर्भित लाईन का अनुमोदन के. वि. प्रा, भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है। कोई अचल संपत्ति स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण में निहित है अथवा नहीं, का नियम/विनियम/अधिनियम/परिपत्र, यह सम्बंधित जिला के राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

अपीलीय अधिकारी का पता-

 श्री. एस.रविंदर कुमार, कार्यपालक निदेशक प.क्षे.-1
 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
 पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड, पोस्ट-उप्पलवाडीनागपुर - 440026
 दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470


 12/09
 (पंकज दलाल) 2022

जन सूचना अधिकारी

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484

 ईमेल : pankajdalal@powergrid.in